न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / एलआर / 6806 / 2006 / सीकर

1– सांवरमल पुत्र चुनाराम जाति यादव
2– गोविन्दराम पुत्र घासीराम जाति जाट
3– चौथूराम पुत्र प्रभात जाति माली
4– फूलाराम पुत्र आशाराम जाति जाट
5– डालूराम पुत्र प्रभातराम जाति जाट
6– गजानन्द पुत्र रूघाराम जाति माली
7– गोविन्दराम पुत्र बंशीराम जाति माली
8– मंगलचन्द पुत्र मुरजाराम जाति माली
9– लक्ष्मण पुत्र नाथूनाथ जाति जोगी
10– बजरंगसिंह पुत्र केसरसिंह जाति राजपूत
समस्त निवासीगण ग्राम मण्ढा (मदनी) तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर।

...अपीलान्ट्स

बनाम

ग्राम पंचायत मण्डा (मदनी) पंचायत समिति दातारामगढ़ जरिये सरपंच तहसील दातारामगढ जिला सीकर।

...प्रत्यर्थी

एकल पीठ

श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य

उपस्थितः–
श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अभिभाषक, प्रार्थीगण की ओर से।
श्री सी.पी.पाराशर, अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से।

———————

दिनांकः 07–1–2021

निर्णय

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–9–2006 जो की प्रकरण संख्या 28 / 2005 में पारित किया के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट्स ने जिला कलक्टर सीकर के आदेश क्रमांक एफ–2(5) आ.वि. / भूआ / राजस्व / 05 / 2510 दिनांक 20–6–2005 से ग्राम मण्ढा (मदनी) तहसील दांतारामगढ स्थिति भूमि खसरा नम्बर 172 रकबा 1.82 हैक्टर किस्म चारागाह को चारागाह से पृथक की जाकर सिवाय चक घोषित करने एवं ग्राम मण्ढा (मदनी) की आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत मण्ढा (मदनी) को आरक्षित (आवंटित) करने को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर में चुनौती दी। उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 4–9–2006 से खारिज कर दी जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3— विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी पर सुनी गई।

4— विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स का कथन है कि ग्राम मण्डा (मदनी) में अवस्थित चारागाह भूमि खसरा नम्बर 172 रकबा 1.83 हैक्टर है उक्त भूमि वर्षो से गांव के पशुओं के चराई के काम आ रही है। उनका यह भी कथन है कि जनता से न तो आपत्तियां मांगी, न ही किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया गया है। वकील अपीलान्ट्स का कथन है कि विवादित आराजी पूर्व में गैर मुमकिन जोहड़ दर्ज थी जिसे अवैधानिक रूप से चारागाह दर्ज किया गया है। उनका यह भी कथन है कि भूमि सिवाय चक नाकाबिल काश्त गैर मुमकिन जोहड़ी दर्ज रही है और जोहड़ी मं वर्षा का काफी पानी एकत्रित होता है जिससे अपीलान्ट्स एवं ग्राम मण्ढ़ा (मदनी) के आम आदमी व पशु पक्षी पानी पीते रहे है तथा भूमि में से होकर खेतों में आने जाने के रास्ते है। विवादित आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर स्थित है जिस पर अवैधानिक रूप से प्लॉट काट कर विक्रय करने की बुरी नियत से आबादी विस्तार के लिये सेट अपार्ट किया गया है। उनका यह भी कथन है कि आबादी विस्तार की ग्राम में आवश्यकता नहीं बल्कि चारागाह भूमि की आवश्यकता है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

5— विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट का प्रत्युत्तर में कथन है कि खसरा नम्बर 172 में जो आबादी विस्तार हेतु जो संपरिवर्तन किया गया है उससे ग्राम के गरीब व्यक्तियों को आवास हेतु भूमि का आवंटन किया गया है। अपने पक्ष के समर्थन में अभिभाषक प्रत्यर्थी पट्टों की छाया प्रस्तुत की है। उनका यह भी कथन है कि आबादी विस्तार हेतु भूमि अवाप्त की गई थी जो सही है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील निरस्त की जावें।

6— प्रार्थीगण के अभिभाषक की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7— हस्तगत प्रकरण में ग्राम मण्ढ़ा (मदनी) की खसरा नम्बर 172 रकबा 1.83 हैक्टर भूमि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत् 2055—58 में गैर मुमकिन जोहडी दर्ज थी जिसे कालान्तर में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर किस्म परिर्वतन कर नामान्तकरण संख्या 345 दिनांक 20—9—2003 गैर मुमकिन चारागाह के रूप में दर्ज किया गया। गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि को आबादी विस्तार हेतु नहीं दिया जा सकता है अतः ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत ने आबादी विस्तार हेतु भूमि प्राप्त करने के लिए पहले भूमि की किस्म को गैर मुमकिन चारागाह दर्ज करवाया तथा बाद में प्रस्ताव प्रेषित कर यह भूमि आबादी विस्तार हेतु सेट अपार्ट करवाई गई। अतः प्रकरण की जांच करवाई जानी आवश्यक है। यद्यपि वकील प्रत्यर्थी ने आबादी विस्तार हेतु भूमि के पट्टे जारी होना जाहिर करते हुए पट्टो की प्रतियां भी प्रस्तुत की है, किन्तु यह अभिलेख (जमाबन्दी सम्वत 2055—58) से प्रमाणित है कि विवादित आराजी गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि है जिसका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1536/2003 बउनवानी ''अब्दुल रहमान बनाम सरकार'' में पारित निर्णय दिनांक 2—8—2004 के अनुसरण में स्वरूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि इसमें वर्ष 1947 से पूर्व की स्थिति को बहाल किया जाना भी दिग्दृष्ट है।

8— परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04—9—2006 एवं जिला कलक्टर सीकर द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ—2(5) आ.वि. /भूआ/राजस्व/05/2510 दिनांक 20—6—2005 को निरस्त किये जाते हैं। विवादित आराजी खसरा संख्या 172 रकबा 1.82 हैक्टर ग्राम मण्ढा (मदनी) तहसील दांतारामगढ को गैर मुमकिन जोहड़ी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। जिला कलक्टर, सीकर को प्रकरण प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच करवाई जावे कि गैर मुमकिन जोहड़ी की भूमि की किस्म परिवर्तन कर किन आदेशों से सिवाय चक दर्ज किया गया है तथा दोषी अधिकारियों एवं व्यक्तियों के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावें। जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई है बाद परीक्षण उन्हें वैकल्पिक भूमि आवंटन हेतु यथोचित आदेश प्रदान करें।

निर्णय सुनाया गया।

(महेन्द्र कुमार पारख)

सदस्य